

राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान जयपुर
कर्मोंक:- प.2 (सब)4776/आ.कृ./गुप-9/ दिनोंक

कार्यालय आदेश

श्री शौकत खां कायमखानी जो सहायक कृषि अधिकारी के रूप में सहायक निदेशक कृषि (वि) गुलाबपुरा में कार्यरत है को अधिवर्षिता की आयु पूरी कर लेने पर दिनांक 31.10.2020 से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता हैं ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्री शौकत खां कायमखानी के विरुद्ध:-

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।

उक्त आदेश आयुक्त कृषि महोदय से अनुमोदित है ।

(सीताराम जाट)

संयुक्त निदेशक, कृषि (प्रशासन)

कर्मोंक:- प.2 (सब)4776/आ.कृ./गुप-9/ 11 401-07 दिनोंक 14/9/2020

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1- निदेशक पेंशन विभाग, जयपुर ।
- 2- संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) भीलवाडा खण्ड भीलवाडा ।
- 3- उप निदेशक कृषि (वि) जिला परिषद भीलवाडा ।
- 4- सहायक निदेशक कृषि (वि) गुलाबपुरा ।
- 5- एनालिस्ट कम प्रोग्रामर मु0 जयपुर ।
- 6- श्री शौकत खां कायमखानी सहायक कृषि अधिकारी, कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (वि) गुलाबपुरा ।
- 7- निजी पंजिका ।



(उदयभान सिंह)

उप निदेशक कृषि (प्रशासन)